पत्र सं0–7/स्थापना व्यय–आवंटन–01/2025– 201(7)स्वा/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

डोरण्डा, राँची–834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
देवघर एवं दुमका।

राँची/दिनांकः 01/06/2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी 110–अस्पताल और औषधालय A3–मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल हेतु ₹ 4,08,00,000/– (चार करोड़ आठ लाख) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन विवरणी में अंकित कार्यालय को व्यय हेतु Online आवंटन संसूचित किया जाता हैः–

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20/2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी	110–अस्पताल और औषधालय A3–मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल	₹ 4,08,00,000/– (चार करोड़ आठ लाख)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98, 1800(वि) दिनांक 15.07.2003 एवं 1681(वि0) दिनांक 10.06.2015 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, देवघर एवं दुमका (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

10. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

11. दवा क्रय हेतु निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों / केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिह्नित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VI. क्रय किए गऐ दवाओं का Shelf Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. संबंधित सिविल सर्जन दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2027 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

12. इस राशि से दवाओं क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों / स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसी दवाएँ जो वर्तमान में रांची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसी परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों / संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

14. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली / करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी है, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य / आवश्यकता / आकस्मिकता को अंकित किया जाए।

20(7)ब
01/06/2026

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ० पृ० उ०

Establishment Expenditure/2026-27

15. विभागीय संकल्प संख्या 102 (6) दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम–235 को शिथिल करते हुए नियम–245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 149 (21) दिनांक 28.07.2022 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. दवा मद में आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/ GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

17. दवा का क्रय नियमानुसार करते हुए क्रय किये गये दवाओं की प्रविष्टि आवश्यक रूप से स्टॉक पंजी में किया जाय।

18. सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन किया जाय। विभाग से दवा भण्डार मद में आवंटन की मांग करने से पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र Invoice की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–01/2025 2017/ब /स्वा0,राँची,दिनांक– 01/06/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–01/2025 2017/ब /स्वा0,राँची,दिनांक– 01/06/2026

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	कार्यालय व्यय	20S221001110A3000315	2500000	श्रावणी मेला, 2026 के लिए राशि आवंटित की जा रही है।
2	कार्यालय उपकरण	20S221001110A3000317	5000000	
3	आपूर्ति एवं सामग्री	20S221001110A3000323	6000000	
4	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S221001110A3000336	25000000	
5	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति	20S221001110A3000442	2300000	
कुल आवंटित राशि			40800000	

कुलः ₹ 4,08,00,000/– (चार करोड़ आठ लाख)।

मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रमांक	जिला का नाम	कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति सामग्री	चिकित्सकीय आपूर्ति	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	कुल आवंटित राशि
1	दुमका	1000000	0	1000000	5000000	800000	7800000
2	देवघर	1500000	5000000	5000000	20000000	1500000	33000000
	कुल राशि	**2500000**	**5000000**	**6000000**	**25000000**	**2300000**	**40800000**

20(7)ब
01/06/2026

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & A3 - मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S221001110A3000315 कार्यालय व्यय	20S221001110A3000317 कार्यालय उपकरण	20S221001110A3000323 आपूर्ति एवं सामग्री	20S221001110A3000336 चिकित्सकीय आपूर्त्ति	20S221001110A3000442 मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dumka	DMKMED079	Dr. Kamleshwar Prasad	C.S. Cum C.M.O.Dumka	₹10,00,000.00 (22585)	₹0.00	₹10,00,000.00 (22590)	₹50,00,000.00 (22594)	₹8,00,000.00 (22599)	₹78,00,000.00
2	Deoghar	DGRMEDD52	Ramesh Kumar	Civil Surgeon Cum Cmo Deoghar	₹15,00,000.00 (22587)	₹50,00,000.00 (22603)	₹50,00,000.00 (22592)	₹2,00,00,000.00 (22596)	₹15,00,000.00 (22601)	₹3,30,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹4,08,00,000.00 (चार करोड आठ लाख) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

20(7)ब
01/06/2026